राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 3 अप्रैल 1979

क्रमांक **369-ज(II)-79/16276.**—श्री इन्द्र सिंह, पुत्र श्री राम जी लाल, गांव चिमनी, तहसील, झज्जर जिला रोहतक, की दिनांक 2 जनवरी, 1977 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री इन्द्र सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना 2113-ज(II)-75/27931, दिनांक 12 सितम्बर, 1975, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती छोटो के नाम खरीफ 1977, से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्धत सहर्ष प्रदान करते हैं ।

दिनांक 19 अप्रैल, 1979

क्रमांक **561-ज(II)-79/18003.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गवा है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री चुन्नु राम, पुत्र श्री जानी राम, मकान नं० 491, प्रताप नगर, गुड़गांव, जिला गुड़गांव, को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

दिनांक 26 अप्रैल, 1979

क्रमांक **689-ज(II)-79/19332.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री गुरचरण सिंह, पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, गांव गोरगढ़, तहसील व जिला करनाल, को रबी, 1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

दिनांक 27 अप्रैल, 1979

क्रमांक **683-ज(II)-79/19494.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रामचन्द्र, पुत्र श्री मुख राम सिंह, गांव रतनथल, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को रबी, 1977 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **682-ज (II)-79/19500.**—पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा की उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गवा है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री शयोताज सिंह, पुत्र श्री नरसिंह, गांव जाहीदपुर, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।

दिनांक 1 मई, 1979

क्रमांक **575–ज (II)–79/19831.**—श्री रति राम, सपुत्र श्री श्रीराम, गांव पेलपा, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 28 अगस्त, 1977, को हई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री रति राम की मुब्लिग 150 रूपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की सधिसूचना क्रमांक 204–र(4)–66/906, दिनांक 1 अप्रैल, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041–आर–III–70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अव उसकी विधवा श्रीमती सनावेवी के नाम रबी, 1978 से 150 रुपये वार्षिक की दर से ननद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं ।

(हस्ताक्षर) . . .,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।